इंडिया माइग्रेशन

न्यू ज ले ट र

वर्ष 1, अंक 2 जुलाई 2006

अंदर के पृष्ठों पर

प्रवासी श्रमिक तथा मूलभूत हकदारी: व्यापक सामाजिक सुरक्षा लागू करने से जुड़े मुद्दे
रवि श्रीवास्तव

प्रवास के संदर्भ में महिलाएं: असुरक्षा तथा नीतिगत प्रश्न (सार-संक्षेप)
प्रीत रस्तोगी

गरीबी और प्रवास : उड़ीसा का बोलनगीर जिला – एक विश्लेषण
सुनील मिश्रा

ग्रामीण विकास ट्रस्ट के अनूठे कार्यक्रम

असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

दिल्ली में नेपाली प्रवासी : वे यहां क्यों हैं? उनके अनुभव क्या हैं?

इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट
एनआईडीएम बिल्डिंग, आईआईपीए कैम्पस
आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110 002

ग्रामीण विकास ट्रस्ट
5 तल, ए विंग, कृभको भवन
ए टैंक, सेक्टर 1, नोएडा-201 301 (उ.प्र.)

प्रवासी श्रमिक तथा मूलभूत हकदारी: व्यापक सामाजिक सुरक्षा लागू करने से जुड़े मुद्दे

रवि श्रीवास्तव, असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग

प्रस्तावना

भारत सरकार ने हाल ही में अनौपचारिक क्षेत्र के कम आय वाले मजदूरों के लिए एक व्यापक सामाजिक-सुरक्षा कानून बनाने के लिए प्रारंभिक कदम उठाए हैं। यह प्रयास संयुक्त प्रगतिशील (UPA) के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (CMP) के अनुरूप है जोकि अनियमित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विस्तृत सामाजिक सुरक्षा संरक्षण का वादा करता है।

सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने का प्रयास राष्ट्रीय मजदूर आयोग की सिफारिश के बाद 2003 में शुरू हुआ, जिसके पश्चात् श्रम-मंत्रालय ने कानून और उसके अनुरूप योजना का खाका तैयार किया था। यू.पी.ए. सरकार के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (NAC) ने प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा की है। असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCEUS) ने श्रम-मंत्रालय तथा दूसरे संबद्ध पक्षों के परामर्श से अब एक रिपोर्ट और विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जो कि तमाम जरूरतमंद मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कर सके।

ऐसे तमाम मजदूर जिनकी आय एक सीमा से नीचे है, चाहे वे वेतनभोगी हों या स्वनियोजित, प्रीमियम की एक छोटी सी राशि अदा कर सामाजिक सुरक्षा पैकेज का लाभ उठा सकेंगे। उनमें से जो मजदूर गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका प्रीमियम सरकार अदा करेगी। मजदूरों के पंजीकरण को सुविधा केंद्रों द्वारा प्रोत्साहित एवं सरलीकृत बनाया जाएगा। मजदूर पंजीकरण-पत्र एवं पहचान पत्र अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं और वे चाहें तो उस पर लिखे पते को बदलवा सकते हैं।

इस योजना के लिए नियोजकों (जहां उनकी पहचान संभव हो) से सहवित्त की व्यवस्था की जा सकती है या सरकार द्वारा विशेष कर तथा उपकर लगाया जा सकता है। सामाजिक-सुरक्षा पैकेज का जो अतिरिक्त भार राजकोष पर पड़ेगा वह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमानतः 0.4% है। यह राशि 5 साल की अवधि में सभी योग्य परिवारों के पूर्ण संरक्षण पर खर्च की जाएगी। पहले वर्ष में प्रारंभिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 1% का 5वां हिस्सा होगा। इस रिपोर्ट और विधेयक की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाईट www.nceus.gov.in पर उपलब्ध है।

आयोग ने अनौपचारिक क्षेत्र के तमाम मजदूरों के काम की कुछ बुनियादी शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे विधेयक का प्रारूप तैयार किया है – असंगठित क्षेत्र श्रमिक (काम की शर्तें व आजीविका प्रोत्साहन) विधेयक, 2005 (Unorganised Sector Workers [Conditions of Work and Livelihood Promotion] Bill)। इस विधेयक का प्रारूप आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है, इस पर चर्चा चल रही है और शीघ्र ही अंतिम रूप देकर सरकार को पेश किया जाएगा। यह विधेयक गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र के दिहाडी मजदूरों के काम की बुनियादी शर्तों तथा विवाद सुलझाने के तौर-तरीकों को निर्धारित करेगा। यह विधेयक काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी-जैसे विभिन्न मुद्दों और बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम तथा बाल-मजदूरी निषेध तथा नियंत्रण

अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा :

- मजदूर और उसके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा तथा मजदूर या उसके पति को मातृत्व सुविधा,
- मजदूर के लिए जीवन बीमा,
- 60 साल की उम्र पार करने पर मजदूर को भविष्य–निधि या पेंशन (गरीबी–रेखा से नीचे के मजदूरों के मामले में) के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा।

अधिनियम के पालन के संबंध में एक मूलभूत न्यूनतम स्तर को निर्धारित करेगा। यह मजदूरों के न्यूनतम हकों को स्वीकारता है जिनमें (क) संगठित होने का अधिकार; (ख) मजदूरी और काम की शर्तों में भेदभाव न होना; (ग) कार्यस्थल पर सुरक्षा; तथा (घ) लैंगिक उत्पीड़न की समाप्ति शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा विधेयक का यह प्रारूप यदि स्वीकार कर लिया जाता है और इसे लागू किया जाता है तो भारत के सभी मजदूरों तथा उनके परिवारों को एक हद तक संरक्षात्मक सामाजिक सुरक्षा हासिल हो जाएगी और इस तरह बीमारी, मृत्यु, प्रसूति तथा बुढ़ापे की वजह से होने वाले नुकसान का जोखिम कम हो जाएगा। राज्यों को यह स्वतंत्रता होगी कि वह उस राज्य विशेष में रहने वाले अथवा किसी खास व्यवसाय में काम करने वाले मजदूरों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा सकें। इसी प्रकार काम की परिस्थिति पर यह विधेयक पहली बार देश के तमाम मजदूरों की न्यूनतम स्वीकार्य काम की शर्तों की जरूरत को उजागर करेगा।

इस वर्ष की 15 मई को सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट तथा विधेयक का प्रारूप माननीय प्रधानमंत्री को सौंपा गया। उसके बाद से इसके लिए धन जुटाने और इसे लागू करने से जुड़ी समस्याओं को लेकर काफी सार्वजनिक चर्चा हुई है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट पहले से ही एक विस्तृत आधार पेश करती है, फिर भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें केंद्र तथा राज्य सरकारों को सुलझाना होगा। जो मजदूर बहुत ही असुरक्षित हैं और जिन्हें जरूरत के वक्त सामाजिक-सुरक्षा का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, उनके जीवन पर इस प्रस्तावित कानून के लाभ तथा प्रभाव का निर्धारण यही प्रश्न करेंगे।

प्रवासी मजदूरों की समस्याएं

उपरोक्त रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में जो महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं उनमें से कई प्रवासी मजदूरों से संबंधित हैं। यह स्वाभाविक ही है। अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों का एक बड़ा भाग गरीब है और इस गरीब वर्ग के बहुत से कामगार प्रवासी हैं। रोजगारी-बेरोजगारी के संबंध में एनएसएस के 1999-2000 के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे गरीब कामगारों के 40 प्रतिशत (घरेलू उपभोग पर खर्च के अनुसार) का एक चौथाई भाग (26.4% शहरी इलाकों में तथा 27.8% ग्रामीण इलाकों में) प्रवासी है। शहरी इलाकों में निर्माण-कार्य, बेलदारी, मशीनीकृत तथा गैर-मशीनीकृत परिवहन, हीरा तराशने, बिजली करघा तथा घरेलू कामकाज में लगे एवं ग्रामीण क्षेत्र में ईंट बनाने, उत्खनन तथा मछली पालन-संसाधन में लगे ज्यादातर मजदूर प्रवासी मजदूर हैं। कई इलाकों में खेतीबाड़ी में प्रवासी मजदूर (संबद्ध तथा दिहाड़ी) महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके बावजूद कि ज्यादातर सेक्टरों एवं उद्योगों में काम करनेवालों की बड़ी तादाद प्रवासी मजदूरों की है और वे समाज का सबसे गरीब और असुरक्षित हिस्सा हैं, उन पर तथा उनकी समस्याओं पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रवास के स्वभाव एवं प्रवासी श्रमिकों की दशा और विकास-लक्ष्य की उपलब्धि के बीच के रिश्ते का ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया गया है। इसका एक कारण है प्रवास के प्रवाह में भारी विविधता। प्रवास के प्रवाह को उद्गम/गंतव्य, दूरी, प्रवास की अवधि व बारंबारता, और प्रवास करने वाले व्यक्तियों/समूहों के चरित्र तथा उनकी भागीदारी की प्रकृति के हिसाब से समझा जा सकता है। प्रायः स्थायी/अर्धस्थायी प्रवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारों (अक्सर गांव से शहर प्रवास के मामले में) और सीजनल या सरकुलर प्रवास (एक से दूसरे गांव तथा गांव से शहर) के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर दिखाया जाता है। यह अंतर काफी महत्त्वपूर्ण है। सीजनल श्रमिक अक्सर अधिक असुरक्षित होते हैं। उनका श्रम-बाजार कहीं ज्यादा अपूर्ण व खंडित है। वे बहुत कम हकदारी पर दावा कर सकते हैं और उनके पास अपने ऐसे साधन (सामाजिक तथा आर्थिक) नहीं हैं जिनका वे जरूरत के समय सहारा ले सकें। हमारे अनुमान से भारत में करीब 2.5 से 3 करोड़ सीजनल प्रवासी मजदूर हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि सबसे असुरक्षित प्रवासी मजदूरों में से बहुत से स्थायी प्रवासी हैं। उनमें वे लोग भी शामिल हैं जो विस्थापित हैं या जिन्हें अवैध तरीके से लाया गया है। यह कहा जा सकता है कि सामान्यतया हर किस्म के प्रवास में वे लोग बहुत सी असुविधाओं का सामना करते हैं जो गरीब हैं और अक्सर निम्न सामाजिक समूह से संबंध रखते हैं।

बहुत सी बातें ऐसी हैं जो गरीब प्रवासी श्रमिकों को अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत दूसरे गैर-प्रवासी श्रमिकों से अलग करती हैं। प्रवास का सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण, खास कर जब प्रवास का उद्देश्य जीवन की रक्षा हो, यह है कि वह पीछे रह गए परिवारजनों के लोकाधिकारों को कमजोर बना देता है। जबकि गंतव्य स्थान पर प्रवासी श्रमिकों को मूलभूत नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। यहां तक कि जो लोग स्थायी तौर पर शहरों में बस गए हैं उन्हें भी बुनियादी शहरी सुविधाओं का प्राप्त करने के लिए लगातार जद्दोजहद करनी पड़ती है। जहां तक सीजनल प्रवासी श्रमिकों का संबंध है उनके हक तथा सार्वजनिक संसाधनों पर उनकी दावेदारी हर हाल में कम ही रहती है।

दूसरी बात यह है कि प्रवासी श्रमिकों को श्रम बाजार में ज्यादा प्रतिकूल स्थति का सामना करना पड़ता है और श्रम-बाजार में जड़ता के कारण उनकी हालत नहीं सुधरती है।

तीसरी बात यह है कि प्रवासी श्रमिक तथा उनका परिवार न केवल बार-बार व्यवसाय तथा उद्योग बदलते रहते हैं बल्कि वे गांव और शहर के बीच झूलते रहते हैं। कभी तो एक राज्य के अंदर ही तो कभी दूसरे राज्यों के बीच।

चौथी बात यह है कि गरीब प्रवासी श्रमिकों, विशेषकर सीज़नल श्रमिकों के पास कमजोर सामाजिक नेटवर्क तथा न होने के बराबर अन्य संसाधन होते हैं जिनपर कि वह निर्भर रह सकें। इस कारण उन्हें विवश होकर ठेकेदारों तथा दलालों पर निर्भर होना पड़ता है जिससे श्रम बाजार में उनकी स्थिति और कमजोर हो जाती है।

इस तरह प्रवासी श्रमिकों की मूल समस्या नागरिक अधिकारों और जनसंसाधनों पर अपना हक उसी प्रकार जताने की है जितना उन पर शेष श्रमिकों का हक है। और यह एक ऐसे संदर्भ में करना है जहां वे एक से दूसरे स्थान पर आते-जाते रहते हैं और अपना धंधा बार-बार बदलते रहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि अधिकतर लोकाधिकार *एक निश्चित स्थान या अधिक से अधिक स्थायी तौर पर स्थान परिवर्तन पर आधारित हैं,* नाकि स्थान-परिवर्तन की तरलता पर।

प्रवासी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सिफारिशें :

- कोई मजदूर एक निश्चित स्थान पर रहता है या नहीं इस आधार पर भेदभाव किए बिना सभी मजदूरों का पंजीकरण, योगदान और सुविधाएँ मुहैया कराना,
- प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार (जो अलग–अलग स्थान पर हो सकते हैं) दोनों को स्मार्ट कार्ड या पहचान पत्र जारी करना,
- उन्हें अपने निवास स्थान के बाहर भी अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों का लाभ दिलाना।

इन सभी कारकों का नतीजा यह है कि विकास कार्यक्रम व योजनाएं प्रवासी श्रमिकों तथा उनके परिवारों को नजरअंदाज कर देती हैं जिसके कारण वे भयंकर रूप से वंचित समूह में पहुंच जाते हैं। परिणामस्वरूप विकास के लक्ष्यों (जिसमें मिलीनियम डेवेलपमेंट गोल भी शामिल हैं) को पाना ज्यादा कठिन हो जाता है। ऐसे में गरीब गतिशील कार्यबल तथा उनके परिवारों तक योजनाओं के लाभ को पहुंचाने की समस्या अनसुलझी रह जाती है। अतः यह और अवश्यक हो जाता है कि श्रमिकों की गतिशीलता तथा इसके परिणाम की ओर पहले ध्यान दिया जाए, तब नीतियां तथा कानून बनाए जाएं, न कि बाद में कार्यान्वयन के समय एक उप-समस्या के तौर पर।

प्रवासी श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा

उपरोक्त बहस से यह साफ है कि प्रवासी श्रमिक कई मामलों में असुरक्षित हैं। समय-समय पर रोजगार तथा आजीविका खोना (जिसके चलते खाद्य असुरक्षा पैदा होती है), खासकर बीमारी, मृत्यु तथा सामाजिक उत्सव के समय एकमुश्त होने वाले खर्चे का आघात और पेशागत स्वास्थ्य संबंधी खतरों, दुर्घटना तथा असामयिक मृत्यु के झटके आदि इनमें शामिल हैं। जहां से श्रमिक बाहर जाते हैं उन क्षेत्रों के वृद्ध श्रमिकों को भारी असुरक्षा का सामना करना पड़ता है जोकि न केवल आय का जरिया न रहने से, बल्कि रोटी-रोजी कमाने वाले के घर में न रहने से भी पैदा होती है। एक ऐसा भी समय भी आता है कि जब इन वृद्ध श्रमिकों को अपनी जरूरतों का खुद ही जुगाड़ करना पड़ता है।

इन असुरक्षाओं को कम करने के लिए कई स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है। ग्रामीण रोजगार सुरक्षा कानून को समुचित तरीके से लागू कर और एक कारगर खाद्य सुरक्षा प्रणाली के जरिए इन असुरक्षाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को इस ढंग से मजबूत करने की आवश्यकता है कि वह भ्रमणशील कामगारों के लिए सहायक सिद्ध हों। शिक्षा तंत्र को ऐसे तरीके ढूंढने होंगे कि प्रवासी मजदूरों के बच्चों और बाल प्रवासी मजदूरों को काम से हटा कर अपने घर के आसपास या जहां वे जाएं उस जगह के आसपास उनकी शिक्षा का प्रबंध हो सके। फिर भी ऐसी सुरक्षा प्रणाली जो बड़े स्वास्थ्य संबंधी अघातों और मृत्यु की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती हो तथा वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करती हो एक बड़ा अग्रगामी कदम होगा। वह प्रभावी ढंग से प्रवासी मजदूरों की मूल असुरक्षाओं को कम कर सकती है।

बहरहाल, अनौपचारिक क्षेत्र के कम आय वाले श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र के स्वरूप तथा कार्यान्वयन संरचना को इस प्रकार स्पष्ट करना होगा ताकि वह गरीब प्रवासी श्रमिकों की असुरक्षाओं को प्रभावी ढंग से कम कर सके। इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि इस आकार के कार्यक्रम की सफलता के लिए *प्रशासन* का मुद्दा काफी महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, प्रवासी श्रमिकों की नागरिकता हकदारी कमजोर होने से उनको संरक्षात्मक सामाजिक सुरक्षा की परिधि में लाने के लिए सार्वजनिक कार्यवाही की भूमिका काफी अहम होगी।

यहां उन समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि प्रवासी मजदूरों से संबंधित हैं। संक्षेप में, इनमें से कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं :

- मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक प्रभावी कानून को सभी प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के *पंजीकरण, योगदान, तथा लाभ तक पहुंच* को सुनिश्चित करना होगा।
- इस बात को भी आश्वस्त करना होगा कि सामाजिक सुरक्षा के पैकेज में घर में बीमारी, मृत्यु, विकलांगता तथा पूरे तौर पर आमदनी बंद होने जैसे जोखिम शामिल हों। प्रवासियों के संदर्भ में पेशागत स्वास्थ्य संबंधी खतरों तथा दुर्घटना से संबंधित प्रासंगिक योजनाओं को शामिल करने की विशेष आवश्यकता है।
- पंजीकरण प्रक्रिया में तमाम प्रवासी श्रमिक सम्मिलित होने चाहिए, चाहे उनके पते स्थायी हों या नहीं। ज्यादातर मामलों में निवास के बारे में श्रमिक द्वारा की गई स्वघोषणा राज्य/केंद्र सरकार को माननी होगी (राज्य सरकारों के सहयोगी दायित्व को तय करने के लिए)। जिन प्रवासी श्रमिकों के पास स्थायी पता नहीं है उनके मामले को सुलझाना ज्यादा कठिन होगा। एक पद्धति ऐसी बनानी होगी जिसके अंतर्गत श्रमिकों को किसी एक जिला समिति में अपना पंजीकरण कराना होगा और केंद्र सरकार को राज्य सरकार के हिस्से का अंश भी देने का जिम्मा लेना होगा।
- श्रमिक तथा उसके परिवार, दोनों को ही स्मार्ट कार्ड/पहचान पत्र देने की आवश्यकता है क्योंकि दिया जाने वाला लाभ जैसे कि स्वास्थ्य बीमा एक ही समय श्रमिक तथा उसके परिवार (जो अलग-अलग स्थान पर हो सकते हैं) दोनों की पहुंच में होना चाहिए। श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में कार्ड से श्रमिक, उसके परिवार तथा नामित व्यक्ति की पहचान हो सकेगी। यदि किसी पविार में एक से अधिक पंजीकृत श्रमिक हुआ तो कार्ड को उसी के अनुसार बदलना होगा।
- अंशदान तथा पैकेज के लाभ तक पहुंच के लिए सामान्यता की आवश्यकता है। सभी लाभ प्रवासी श्रमिकों की पहुंच में होने चाहिए, चाहे वे अपने राज्य में हों अथवा उससे बाहर। इसके लिए विभिन्न प्राधिकारों/एजेंसियों के बीच वित्तीय हस्तांतरण का तरीका तय करना होगा। यदि एक खास एजेंसी (जैसे कि भारतीय डाक, जिसकी सिफारिश आयोग द्वारा की गई है) हिसाब-किताब रखती है तो ये समस्याएं ज्यादा सरलता से सुलझाई जा सकती हैं।
- अंततः, हालांकि यह प्रस्तावित विधेयक की परिधि में नहीं है फिर भी इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि क्या श्रमिकों का पंजीकरण दूसरे उद्देश्य से भी काम में आएगा – जैसे कि दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों के लाभ श्रमिक को घर से बाहर रहकर भी मिल सके तथा श्रमिकों का आवागमन तथा श्रम बाजार पर उसके प्रभावों का पता लगाया जा सके।

साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गरीब प्रवासी श्रमिक तक लाभ पहुंचने से ही कार्यान्वयन प्रणाली की कारगरता तथा सरकार की वचनबद्धता की परख होगी। इनमें से कुछ भी संभव नहीं है यदि जमीनी स्तर की सामाजिक संस्थाएं मताधिकार से वंचित तथा हाशिए पर खड़े इन श्रमिकों की ओर से खड़े होकर दबाव नहीं डालतीं। ■

प्रवास के संदर्भ में महिलाएं: असुरक्षा तथा नीतिगत प्रश्न (सार-संक्षेप)

प्रीत रस्तोगी, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट

(पूरी रिपोर्ट के लिए www.migrationindia.org *देखें)*

प्रस्तावना

प्रवास का अर्थ है लोगों का अपने जन्मस्थान से दूसरी जगह जाना। ऐसा उन्हें कई कारणों से करना पड़ सकता है जिनमें आर्थिक तथा गैर-आर्थिक कारक शामिल हैं। हाल में प्रवास के लैंगिक आयाम की ओर जो ध्यान खिंचा है वह महिलाओं की गतिशीलता की बदलती रूपरेखा का संकेत है। यह मानव गतिशीलता के कानूनी तथा गैर कानूनी तत्त्वों (जैसे कि अवैध व्यापार, शोषण भरा तथा गुलामों जैसे श्रमिकों का प्रयोग इत्यादि) के साथ उसके रिश्ते तथा बढ़ती हुई मान्यता का द्योतक है कि लैंगिक पक्ष के प्रति उदासीन मौजूदा ढांचे गलत हैं और मानव तथा अर्थिक विकास के तमाम क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव से जुड़े मुद्दों को मुख्यधारा में लाना होगा।

महिला प्रवास की रूपरेखा

विवाह तथा पारिवारिक फैसले महिलाओं के प्रवास को बहुत सीमा तक प्रभावित करते हैं। कुल महिला श्रमिकों के प्रवास का 87 प्रतिशत इन बातों से प्रभावित होता है, जबकि केवल 31 प्रतिशत पुरुष प्रवास के संबंध में ही ये बातें मायने रखती हैं। इन आंकड़ों के आधार पर गलती से यह मान लिया जाता है कि चूंकि महिलाओं के प्रवास का कारण मूलतः पारिवारिक है इसलिए लिंग तथा प्रवास के आर्थिक पक्षों का कोई महत्त्व नहीं है। यहां तक कि जिन 2 प्रतिशत महिलाओं ने अपने प्रवास का कारण रोजगार की तलाश बताया है उनकी संख्या 30 लाख से अधिक है। काम के लिए प्रवास करने वाले श्रमिकों की संख्या को कम दर्शाने का सीधा संपर्क महिलाओं के काम को कम मान्यता देने से है और यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास करनेवालों का एक बड़ा भाग ऐसा है जिसे 'श्रमिक गतिशीलता', 'परिक्रमा प्रवास' अथवा 'अल्प कालिक' या 'रूक-रूक कर' प्रवास भी कहा जाता है और इसे गिनती के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मौजूदा ढांचे में दर्शाया नहीं जा सकता।

चूंकि अधिकतर प्रवासी महिलाएं अशिक्षित हैं और यदि शिक्षित हैं भी तो उनमें से केवल कुछ ही ने प्राइमरी स्कूल के आगे की पढ़ाई की है, लिहाजा औपचारिक प्रशिक्षण/कौशल तक उनकी पहुंच कम है। जैसा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में होता है, यह प्रवासी महिला श्रमिक भी अनौपचारिक ढंग से ही प्रशिक्षण तथा हुनर हासिल करती हैं। इस बात के ढेरों उदाहरण मौजूद हैं कि कृषि, प्रसंस्करण, या विभिन्न उत्पादों (मसलन, काजू, तंबाकू, झींगा मछली, आदि) को श्रेणीबद्ध करने की क्रिया में कौशल प्रसार कैसे होता है।

कुछ हुनर युक्त काम महिलाओं की पहुंच से बाहर रहते हैं क्योंकि महिलाएं ज्यादातर दस्ती काम करने के लिए ही रखी जाती हैं जहां कि मजदूरी बहुत कम होती है। निर्माण के क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं ने इस बात का संकेत दिया कि उन्हें हुनरवाले काम तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता, जिससे कि हुनरवाले काम पुरुषों के विशेषाधिकार में रह जाते हैं। श्रम मंडी पर उपलब्ध साहित्य में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे तकनीकी तथा यंत्रीकरण के आने पर पुरुषों ने कृषि, विनिर्माण और अन्य क्षेत्र के उन कामों पर भी कब्जा कर लिया जिन्हें पूंजी निवेश में बढ़ोतरी से पहले महिलाएं करती थीं।

चंद अध्ययनों में यह बात सामने आने लगी है कि नियोजकों की ओर से यह मांग कि पुरुष अपने साथ महिला श्रमिक भी लाएं बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त ईंट भट्ठा जैसे कई क्षेत्र हैं जिनमें औपचारिक तौर पर तो पुरुष को काम पर रखा जाता है जबकि सामाजिक उत्पादन क्षेत्र में परिवार की महिलाओं की भागीदारी दिखाई नहीं देती।

मौजूदा लिंग आधारित रूढ़िवादी धारणाओं तथा पक्षपात के कारण प्रवासी महिला श्रमिकों की स्थिति कमजोर बनी रहती है। परिणामस्वरूप उन्हें श्रम मंडी में लिंग आधारित भेदभाव और गैर-बराबरी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए कोई समर्थक सामाजिक ढांचा न होने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। प्रवासी महिला श्रमिकों को यौन-उत्पीड़न, बलात्कार तथा छेड़छाड़ का भी सामना करना पड़ता है, जिससे कि वे पुरुष प्रवासियों से ज्यादा असुरक्षित हो जाती हैं। उन तमाम महिलाओं को, जो कि स्थानीय श्रम मंडी जैसे कि नाका, पटड़ी, चौराहा (लेबर खरीद-फरोख्त के कामचलाऊ क्षेत्र) पर खड़े हो काम की तलाश करती हैं, शक की दृष्टि से देखा जाता है और उनकी हरकतों पर अनैतिक टिप्पणी की जाती है, विशेषकर तब जब वह महिला अकेली हो।

आर्थिक कारणों से राज्य के बाहर प्रवास

रोजगार के अच्छे अवसरों या फिर अच्छे काम की तलाश में अपने मूल राज्य से दूसरे राज्य में जाना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। जिन राज्यों में अच्छे आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधन, परिवाहन-सेवा तथा अच्छी संचार व्यवस्था की वजह से अच्छे रोजगार तथा व्यापार के मौके मिलते हैं, उन राज्यों की तरफ दूसरे पिछड़े तथा बदतर हालत वाले राज्यों से लोग आकर्षित होते हैं। इन वर्गों में पूर्वोत्तर व दक्षिणी राज्यों, मध्य प्रदेश और गोवा के प्रवासी श्रमिकों में महिलाओं की तादाद अपेक्षाकृत ज्यादा पाई गई है। केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा जैसे राज्यों से कुल अंतर्राज्जीय महिला प्रवास में आर्थिक कारणों से प्रवास करनेवाली महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है।

ज्यादा आने वाले		ज्यादा बाहर जाने वाले	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
गुजरात		बिहार	
हरियाणा		हिमाचल प्रदेश	
मध्य प्रदेश		केरल	
महाराष्ट्र		उड़ीसा	
पश्चिम बंगाल		राजस्थान	
कर्नाटक	आंध्र प्रदेश	तमिलनाडु	
	पंजाब	उत्तर प्रदेश	
		आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
		पंजाब	

ऊपर दिया गया बाक्स एक ओर उन राज्यों को दर्शाता है, जिनकी ओर प्रवासी श्रमिक आकर्षित होते हैं और दूसरी ओर वह राज्य हैं जहां से कि प्रवास होता है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा पंजाब ऐसे राज्य हैं जो कि प्रवासियों को अपनी ओर खींचते हैं जबकि बिहार,

हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां से श्रमिक बाहर निकल कर जाते हैं। आंध्र प्रदेश तथा पंजाब ऐसे दो राज्य हैं जहां पर महिला मजदूर बाहर से आती हैं जबकि पुरुष श्रमिक इन दो राज्यों से बाहर प्रवास करते हैं। कर्नाटक में दूसरी राज्यों से पुरुष आकर काम करते हैं जबकि वहां से महिलाएं काम के लिए बाहर जाती हैं। प्रवास के स्वरूप में अंतर्निहित जटिलताओं तथा जाति-वर्ग-व्यवसाय की भूमिका इस बात को आवश्यक बनाती है कि व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित शोध अध्ययन हों ताकि वे 'पैटर्न' बेहतर तरीके से समझे जा सकें। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब की तरफ महिला कामगारों का प्रवास क्यों हो रहा है? क्या यह महिला मजदूरों के लिए वहां ज्यादा मांग होने के कारण है जिसे वहां स्थानीय तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता? अथवा क्या प्रवास करनेवाले लोगों में स्थानीय स्तर पर काम न करने वाली महिलाएं हैं जैसा कि शायद पंजाब के मामले में है? प्रवास पर उपलब्ध साहित्य प्रवासी श्रमिकों के प्रयोग के लिए जिन सारे कारकों को उत्तरदायी ठहराता है उनमें सस्ता श्रम और यह हकीकत है कि चूंकि वे आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं, उन पर शासन आसानी से किया जा सकता है, वे ज्यादा आज्ञापरायण तथा असुरक्षित भी होते हैं, उनके पास कोई सामाजिक समर्थन ढांचा भी नहीं है और इसलिए वे ठेकेदार-दलालों या नियोजकों पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का न होना तथा रोजगार की आवश्यकता होने के कारण महिला श्रमिकों की ओर से सौदेबाजी या आंदोलन की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए श्रम मंडी का बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिसमें इन प्रक्रियाओं को प्रभावित तथा निर्धारित करने वाले कारकों पर विशेष बल दिया गया हो।

देश के जिन 15 बड़े राज्यों में महिला श्रमिकों का अंतर्राज्जीय प्रवास होता है, उनमें से महाराष्ट्र तथा गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जिनकी ओर सबसे अधिक महिला श्रमिक जाती हैं। जबकि जो महिलाएं रोजगार या और किसी व्यवसाय के लिए बाहर प्रवास करती हैं वे अधिकतर बिहार तथा उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरे राज्य जहां से महिलाएं काम के लिए बाहर आती हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा केरल हैं।

आर्थिक कारणों से राज्य के भीतर प्रवास

आर्थिक कारणों से होने वाले प्रवास का अधिकांश भाग आंतर-राज्यीय यानी राज्य से भीतर प्रवास की श्रेणी में आता है जबकि पुरुष तथा महिला श्रमिकों के प्रवास का थोड़ा ही भाग अंतर्राज्यीय श्रेणी में आता है। वह राज्य जहां आर्थिक कारणों से महिलाओं का प्रवास कुल महिला श्रमिकों के प्रवास के अनुपात में अधिक है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश हैं। जबकि गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र का नंबर उनके बाद आता है। तमाम 15 बड़े राज्यों में आर्थिक कारणों से होने वाले आंतर-राज्यीय महिला प्रवास पुरुषों के प्रवास मुकाबले में अधिक है। इससे यह बात उजागर होती है कि महिलाएं कम दूरी तथा कम अवधि के प्रवास तक सीमित हैं, जबकि अंतर्राज्जीय प्रवास में पुरुषों की संख्या अधिक है।

राज्य के भीतर प्रवास करनेवालों की दो धाराओं के मामले में विभिन्न राज्यों के बीच फर्क है। जहां आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में जिले के भीतर प्रवास करनेवालों की संख्या ज्यादा है वहीं केरल और हरियाणा में जिला के बाहर प्रवास करनेवालों की। इन प्रवासियों के मामले में लिंग के आधार पर भारी भिन्नता दिखाई देती है। मसलन, बिहार में ज्यादातर महिलाएं जिला के भीतर प्रवास करती हैं वहीं जिला के बाहर

जानेवालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी यही दिखाई देता है कि महिलाएं ज्यादातर जिला के भीतर कम दूरी के दायरे में काम की तलाश करती हैं जबकि पुरुष जिला के बाहर दूर तक जाते हैं।

नीतिगत पहलू

नीतिगत प्रश्नों पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है ताकि मानव श्रम के स्वतंत्र और अबाधित आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके। यह जरूरी है कि मानव गरिमा की रक्षा की जाए और गैरकानूनी तरीकों से दोहन, शोषण व बरगलाने को रोका जाए।

अस्थायी, अंशकालिक, अनियमित और असंगठित मजदूर होने के कारण प्रवासियों को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उनके कानूनी अधिकार सीमित हैं। प्रवासियों को अक्सर ऐसे रोजगार का सहारा लेना पड़ता है जहां मजदूरी कम होती है और नियोजक या ठेकेदार लागत को कम रखने के लिए प्रवासी मजदूरों को बहाल करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें, खासकर महिलाओं को गाली-गलौज और भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह राज्य के इस वादे के खिलाफ है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा।

प्रवासियों को फौरन शिक्षित करना निहायत ही जरूरी है जिससे कि वे सचेत हो सकें और कानूनी प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम हो सकें।

जिन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है उनमें से कई प्रवास के कारणों से संबंधित हैं। यदि प्रवास के प्रवाह को कम करना है या उस पर रोक लगाना है तो जरूरी है कि प्रवास के उद्गम स्थलों का विकास किया जाए और वहां रोजगार की उपलब्धता को बढ़ाया जाए। दूसरा पहलू यह है कि इसके कारकों को समझा जाए, मजदूरों की गतिशीलता पर उनके प्रभाव को आंका जाए और गंतव्य पर बेहतर योजना बनायी जाए। इसके साथ-साथ कारकों की बेहतर समझ दूसरी जगहों पर भी सुविधाओं के निर्माण में सहायक होंगी। कर और राजस्व में छूट और पिछड़े या कम विकसित इलाकों में रियायती निवेश के जरिए ग्रामीण औद्योगीकरण या रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रात्साहित करने की नीति ऐसे कारकों का उदाहरण हैं जो नीतिगत रूप से प्रेरित हैं।

गरीबी उन्मूलन या रोजगार गारंटी योजनाओं के तहत जिस तरह के गरीब-पक्षधर विकास की परिकल्पना की गई है वह दूसरी पहल का आधार हो सकता है। अगर इन पहलों के जरिए परिसंपत्तियों या सार्वजनिक उपयोग के ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है तो इलाके का विकास अपने-आप अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगा।

पिछड़े या सूखाग्रस्त इलाकों में सरकारी रोजगार योजनाओं के तहत भुगतान का एक हिस्सा अक्सर अनाज की शक्ल में होता है ताकि मजदूरों के पोषण की स्थिति में सुधार हो। काम के बदले अनाज, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

के जरिए अनाज का वितरण और अन्न बैंक-जैसी योजनाएं उन गरीबों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं जिन्हें जीवन-रक्षा के लिए प्रवास का सहारा लेना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा में कमी का सबसे बुरा असर महिलाओं, आदिवासियों और गरीब प्रवासियों पर होता है। नीतिगत उपायों के जरिए उनकी समस्याओं का बेहतर तरीके से निपटारा किया जा सकता है।

ऋण-आधारित हस्तक्षेप के मामले में बचत और स्वयं-सहायता समूह ऐसे उपाय हैं जो उन स्व-नियोजित मजदूरों और उद्यमियों की मदद कर सकते हैं जो वित्तीय पूंजी के अभाव में अपना उद्यम शुरू करने या चालू रखने में अक्षम होने के कारण प्रवासी बनने के लिए लाचार हैं।

महिलाओं को शिक्षित करने, स्कूलों में उनके दाखिले और स्कूली शिक्षा जारी रखनेवालों के अनुपात में बढ़ोतरी और सूचना के दायरे को विस्तारित करने के प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों और अन्य अनौपचारिक संस्थाओं को भी हस्तक्षेप करना होगा। बाल श्रम और बंधुआ श्रम के मामले में विभिन्न संगठनों के हस्तक्षेप के अनुभवों को प्रवासी मजदूरों के मामले में भी लागू करने की जरूरत है।

मौजूदा और भावी प्रवासियों के साथ अपनी स्थानीय निकटता व संबंध के कारण पंचायती राज संस्थाएं प्रवासियों की काफी मदद कर सकती हैं। इन संस्थाओं के जरिए कानूनी प्रावधानों को लागू किया जा सकता है और जागरूकता अभियान आदि संगठित किए जा सकते हैं।

पहचान पत्र या सामाजिक सुरक्षा नंबर का निर्गमन जोकि देश के हर नागरिक को दिए जाने वाले चुनाव फोटो पहचान पत्र पर आधारित हो, प्रवासी श्रमिकों का अता-पता लगाने तथा प्रवासी श्रमिकों तक विभिन्न प्रावधानों के लाभ को पहुंचाने में काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों के लिए भी इसे लागू करने की जोरदार सिफारिश की गई है। सेवा (SEWA) जैसी संस्थाओं द्वारा असंगठित श्रमिकों को पहचान पत्र दिलाने के प्रयत्न काफी लाभकारी सिद्ध हुए हैं जिससे कि अधिकारियों द्वारा महिलाओं को परेशान तथा शोषण काफी कम हुआ है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए बाल संरक्षण केंद्र या बालगृह (क्रैश) का प्रबंध होने से महिला श्रमिकों पर बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व कम होगा तथा वह रोज कुछ घंटों के लिए काम पर जा सकती हैं। प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक और क्षेत्र है जिसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। काम संबंधी स्वास्थ्य से जुड़े खतरे के अतिरिक्त प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं तथा कुपोषण भी महिला श्रमिकों को बुरी भांति प्रभावित करता है जिससे कि उनके कमाने की क्षमता घट जाती है।

प्रवासी श्रमिक को नागरिक के तौर पर वोट के हक से वंचित रखा जाता है, लिहाजा वे राजनीतिक सत्ता को प्रभावित नहीं कर पाते। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार शहरी इलाकों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहनेवाले को नागरिक के रूप में वाट देने का हक प्राप्त है, उसी प्रकार ग्रामीण इलाकों और देश के दूसरे भागों में प्रवासी श्रमिकों को भी नागरिक के तौर पर वोट का बुनियादी हक दिया जाना चाहिए।

प्रवासी श्रमिकों से संबंधित श्रम कानूनों को लागू करना केंद्र तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यद्यपि प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार के मंत्रालयों तथा श्रम विभाग की है, तथापि केंद्र के स्तर पर यह काम मुख्य श्रम आयुक्त और उनके क्षेत्रीय कार्यालय करते हैं। श्रमिक कल्याण निदेशालय तथा कल्याण आयुक्त भी प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के कुछ मामलों को देखते हैं। दूसरे संबंधित सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालय (जैसे कि स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, शहरी मामलों का मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय) भी प्रवासी श्रमिकों के मसले सुलझाने लिए के जिम्मेदार हैं। पर इन मंत्रालयों में अलग से कोई विभाग नहीं है जो विशेषकर प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को देखता हो। ■

गरीबी और प्रवास : उड़ीसा का बोलनगीर जिला – एक विश्लेषण

सुनील मिश्रा, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट

परिचय : गरीबी तथा आपदा

कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुत (KBK) संभाग अपनी गरीबी, कुपोषण, भूख तथा जीवन की सभी सामाजिक कुव्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। साथ ही यह क्षेत्र बार-बार सूखा पड़ने के लिए भी जाना जाता है। देखा गया है कि इस क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में उड़ीसा के दूसरे भागों तथा राज्य से बाहर चले जाते हैं। कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं यहां काम कर रही हैं, परंतु सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया है, हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह लेख उड़ीसा के बोलनगीर जिला में प्रवास के प्रभाव का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

बोलनगीर जिला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 300 कि.मी. पश्चिम में स्थित है। चंद एक खनिज भंडार होने पर भी यह जिला मूलभूत ढांचे और प्राकृतिक संसाधनों की कमी का शिकार है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुमानतः 60 प्रतिशत परिवार वहां पर गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत करते हैं जबकि वहां शिक्षा का औसत स्तर राष्ट्रीय स्तर से भी नीचे है। इस जिला की इस भारी गरीबी का कारण वहां की कृषि में गतिरोध आना है यानि घटिया मिट्टी, कम सिंचाई तथा बार-बार पड़ने वाला सूखा। इस जिला से प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में प्रवास इस कारण भी होता है।

जिला में अनियंत्रित गरीबी के कारण गरीब परिवार आसानी से सूदखोरों के जाल में फंस जाते हैं और इस प्रकार कर्ज-बंधन तथा प्रवास के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। कुछ साहुकार तथा उनके एजेंट, आंध्र प्रदेश के ईंट भट्ठा मालिकों तथा ठेकेदारों के एजेंट का काम करते हैं। उन्हें प्रति श्रमिक के हिसाब से कमीशन मिलती है। साथ में उनको श्रमिक की कमाई से भी हिस्सा मिलता है। इन ठेकेदारों द्वारा दी गई अग्रिम राशि को चुकाने के लिए भी प्रवास होता है। बोलनगीर में प्रवास किसी तरह जिंदा रहने की नीति है ना कि धन संचय का साधन।

लोग मौसम के हिसाब से भी जिला से प्रवास करते हैं। विशेषकर तूरकेला, बोंगमुण्डा, मूरीबहाल, बेलपाड़ा, खपराखोल, सैनताला तथा तितलागढ़ ब्लाकों से

यह प्रवास होता है। संचार माध्यमों के एक अनुमान के अनुसार हाल के वर्षों में केबीके संभाग से होने वाला प्रवास प्रतिवर्ष 20 लाख के लगभग रहा है जिसमें से डेढ़ से दो लाख प्रवासी श्रमिक केवल बोलनगीर जिला के होते हैं।

प्रवास पद्धति

बोलनगीर जिला में ठेकेदारी श्रम का प्रचलन है जोकि एक किस्म की बंधुआ श्रम की प्रथा जैसी है। बिचौलिये या सरदार द्वारा पथेरा (ईंट को सांचे में ढालनेवाला) को 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए 'उत्सव एडवांस' दिया जाता है। यह बिचौलिया आंध्र प्रदेश में ईंट भट्ठा ठेकेदारों के लिए श्रमिकों का प्रबंध करता है। यह 'उत्सव एडवांस' केवल अग्रिम होता है। उसके बाद पथेरा को 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक दिए जाते हैं और यह ठेका होता है कि पथेरा अगले 6 मास तक काम करेगा जिसमें उसको एक हजार ईंट बनाने के लिए 65 रुपए मिलेंगे। मजदूर आपूर्ति करने वाले को उसके द्वारा दिए गए मजदूरों से 6 रुपए प्रति हजार ईंट के हिसाब से मिलते रहते हैं। आंध्र प्रदेश में अधिकतर ईंट भट्ठों में प्रति हजार ईंट 80 रुपए दिए जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चार श्रमिकों के समूह में हर व्यक्ति 20 रुपए कमाता है। पथेरा नवंबर से मई माह तक रोजाना 12 से 15 घंटे और कभी-कभी 18 घंटे भी काम करता है। चार व्यक्तियों का समूह दिन में कोई एक हजार ईंट बनाता है।

ईंट भट्ठे का मालिक बोलनगीर से जाने वाले श्रमिक को उसके गंतव्य स्थान तक का गाड़ी भाडा देता है। जब प्रवासी श्रमिक के घर वापस आने का समय होता है तब उसे पूरी मजदूरी अदा की जाती है। खाने के लिए हफ्तावार भत्ता दिया जाता है जिसे कभी-कभी पूरे भुगतान के समय काट लिया जाता है। अपने रहने के लिए अस्थायी झोपड़ी श्रमिकों को स्वयं बनानी होती है। झोपड़ी बनाने तक इन श्रमिकों को कुछ दिनों के लिए खुले आकाश के नीचे ही रहना पड़ता है। मालिक झोपड़ी की छत के लिए घास-फूस व पालिथीन और पीने का पानी देता है। चूंकि साप्ताहिक भत्ते में से श्रमिक चावल नहीं खरीद सकते इसलिए उनको मुर्गियों को खिलाए जाने वाले दाने को खाकर ही गुजारा करना पड़ता है।

इन भट्ठे के मालिकों को यह हक हासिल है कि वे इस ठेके पर मिली लेबर को अपने भट्ठे पर काम पर लगाए या फिर किसी दूसरे भट्ठे वाले को पट्टा पर दे दें। ऐसा बताया जाता है ये श्रमिक केवल उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि वो उपभोग करते हैं। सभी मजदूर काम के मौसम में काम करने के बावजूद अपनी आवश्यकताएं पूरी करते-करते ऋणी हो जाते हैं।

बोलनगीर जिला के काटाबांजी क्षेत्र में काम करनेवाली 'विकल्प' के नाम से जानी जाने वाली एक गैर-सरकारी संस्था ने तीन ब्लॉकों – बोंगमुण्डा, तूरीकेला तथा मूरीबहाल में सन् 2003 में एक अध्ययन किया था। कुल 174 गांवों का अध्ययन करने के बाद पाया गया कि निम्नजाति, अनुसूचित जनजाति तथा लिंग का प्रवास से घनिष्ठ संबंध है।

यह देखा गया कि जिस क्षेत्र में अध्ययन किया गया उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 50 प्रतिशत लोग आंध्र प्रदेश में ईंट भट्ठों में मजदूरी करने जाते हैं। अनुसूचित जनजाति के एक तिहाई लोग अपने घर-बार छोड़कर सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए बाहर चले जाते हैं। अगड़ी जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों से केवल एक चौथाई लोग ही प्रवास करते हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि अनुसूचित जातियों के हर परिवार से 3.87 व्यक्ति प्रवास करते हैं। अनुसूचित जनजातियों में यह आंकडा 3.39 व्यक्ति प्रति परिवार है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कुल कार्यबल का 47 प्रतिशत महिला मजदूर हैं।

निष्कर्ष और नीतिगत मुद्दे

बोलनगीर जिला में प्रवास, शोषण तथा स्वास्थ्य संकट से जुड़ा हुआ है। जिन समस्याओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है वो हैं "न्यूनतम मजदूरी" तथा "बाल मजदूरी" कानून का पालन, काम की शर्तें, स्वास्थ्य सेवा तथा स्थानीय ठेकेदारों की भूमिका। सरकारी संस्थान तथा गैर-सरकारी संस्थाएं इस क्षेत्र में ईंट भट्ठों पर काम करनेवालों की कार्य अवस्था में सुधार के लिए जिम्मेवार हैं। उनको चाहिए कि वे नियोजकों में जागरूकता पैदा करें कि वे श्रमिकों को उनके पूरे अधिकार दें। गरीब श्रमिक वर्गों के लिए शुरू किए गए "काम के बदले अनाज" तथा "नगदी के बदले अनाज" जैसे कार्यक्रम का समय पर लागू होना न केवल प्रवासी श्रमिकों की कार्य स्थिति को सुधारेगा बल्कि बोलनगीर जिला के लोगों का दुःखद प्रवास भी रूक जाएगा। ■

ग्रामीण विकास ट्रस्ट (GVT) के अनूठे कार्यक्रम

वेस्टर्न इंडिया रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट (WIRFP)

- **प्रथम चरण** : डब्ल्यूआईआरएफपी का प्रथम चरण, ग्रामीण विकास ट्रस्ट (GVT) की मूलसंस्था कृभको (KRIBHCO) ने वर्ष 1993-99 के दौरान कृभको इंडो-ब्रिटिश रेनफेड प्रोजेक्ट के बैनर के नीचे मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के तीन जिलों में लागू किया। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण की लागत 19.06 करोड़ थी जबकि स्थानीय व्यय 11.45 करोड़ था।
- **दूसरा चरण** : डब्ल्यूआईआरएफपी का दूसरा चरण अप्रैल 1999 से मार्च 2006 तक की अवधि में लागू करना तय हुआ है। इस चरण में जीविका को प्रोत्साहन देना, भागीदारी के जरिए कृषि प्रणाली का विकास करना तथा 'चैलेंज फंड' और प्रवासी श्रमिक समर्थन कार्यक्रम-जैसे नए

ग्राम विकास ट्रस्ट के दो नव प्रवर्तित कार्यक्रम : वेस्टर्न इंडिया रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट (WIRFP) तथा ईस्टर्न इंडिया रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट (EIRFP)। यह वर्षा–आधारित, संसाधन–रहित तथा दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सहायता देने के लिए क्षेत्र–आधारित परियोजनाएं शुरू करने की नीति के अनुरूप है।

लम्बी अवधि में कृषि विकास को प्रोत्साहित करने की नीयत से जीवीटी द्वारा बनाए गए यह दो प्रोजेक्ट ग्राम–आधारित स्वयं–सहायता समूह/संस्थान बनाने पर जोर देते हैं।

एक आदिवासी महिला द्वारा कंपोस्ट तैयार करना

इन दो बड़े कार्यक्रमों के मुख्य–मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- गरीब आदिवासी किसान समुदायों के आजीविका में सुधार लाना।
- लिंग तथा गरीबी केंद्रित भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण को विकसित तथा कार्यान्वित करना।
- गांव आधारित संस्थान खड़े करना।
- समाज के लोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलना।
- विभिन्न संस्थाओं/संस्थानों/एजेंसियों/व्यक्तियों को ग्राम विकास पर परामर्श देना।

कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है। दूसरे चरण का कुल खर्च रुपए 87.12 करोड़ है (जिसमें से 94 प्रतिशत डीएफआईडी से तथा 6 प्रतिशत कृभको से मिलेगा)।

इस समय यह प्रोजेक्ट सात वर्षों से तीन राज्यों के 7 जिलों में जारी है जिनमें मध्य प्रदेश में झबुआ, धार तथा रतलाम, राजस्थान में बांसवाड़ा और डुगंपुर तथा गुजरात में पंचमहल और दाहोद शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट 202 कोर गांवों में और 466 निकटवर्ती गांवों में फैला है। इसका लाभ वहां के लगभग 7 लाख आबादी वाले 75000 परिवार के लोगों को हो रहा है। प्रोजेक्ट का कार्यकलाप संबधित राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थानों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं की नजदीकी भागदारी से लागू हो रहा है।

प्रवासी श्रमिक समर्थन कार्यक्रम

संसाधनहीन आदिवासी क्षेत्र में प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन करते समय ग्रामीण विकास ट्रस्ट ने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों की जरूरतों के अनुसार उनके लिए कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता महसूस की। उनमें अधिकतर निर्माण उद्योग में लगे अकुशल मजदूर हैं। इस रिपोर्ट में आदिवासी प्रवासी श्रमिकों के लिए "आदिवासी प्रवासी मजदूर समर्थन कार्यक्रम" (Adivasi Migrant Labour Support Programme—AMLSP) का प्रस्ताव तथा रूपरेखा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा गुजरात तथा मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा।

प्रवासी मजदूर समर्थन कार्यक्रम को डब्ल्यूआईआरएफपी के घटक के तौर पर 2001 से शुरू किया गया था। यद्यपि डब्ल्यूआईआरएफपी मार्च 2006 में समाप्त हो गया परंतु प्रवासी मजदूर समर्थन कार्यक्रम को इसके अनूठे चरित्र, सामाजिक तथा सरकारी संस्थाओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा प्रवासी श्रमिकों के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाने की संभावना के कारण 15 माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

इस्टर्न इंडिया रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट (EIRFP)

कृभको (KRIBHCO) ने ईआईआरएफपी को आरंभ में सन् 1995 से 2000 तक की अवधि में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दी थी, परंतु प्रोजेक्ट की सफलता से इस अवधि को पहले मार्च 2003 और फिर मार्च 2005 तक बढ़ा दिया गया। सन् 2000 के पश्चात् इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन तथा प्रबंधन की जिम्मेवारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट को सौंपी गई। प्रोजेक्ट का मार्च 2003 तक कुल खर्च 38.66 करोड़ रुपए है जिसमें स्थानीय खर्च 27.41 करोड़ है (इसमें डीएफआईडी से वापस होने वाला खर्च शामिल है)।

ईआईआरएफपी ने कामयाबी से अपना 9वां वर्ष पूरा किया है। प्रोजेक्ट की गतिविधियां 9 जिलों में चालू की गई हैं, जिनमें रांची, हजारीबाग तथा सरायकेला झारखंड में, धेनकानल, कोइनझर तथा मयूरभंज उड़ीसा में और पुरूलिया तथा मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हैं। इसके कार्यक्षेत्र में 252 कोर तथा 556 अन्य गांव शामिल हैं और इसकी पहुंच 61,000 परिवारों के 5.5 लाख लोगों तक है। इस प्रोजेक्ट में संबंधित राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थानों, राज्य कृषि संस्थानों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं की नजदीकी भागदारी है।

प्रोजेक्ट-नीतियां

जिन दो प्रोजेक्टों की चर्चा ऊपर की गई है उनकी मूल नीतियां निम्नलिखित हैं :

- **साझेदारी योजना प्रक्रिया** : स्थानीय लोगों को साथ लेकर प्रोजेक्ट में साझेदारी प्रक्रिया पर बल दिया गया है। साझेदारी प्रक्रिया के छः स्तर हैं। जैसे गांव में जाना, जान-पहचान बनाना, समाज की समस्याओं को चिह्नित करना और उनका विश्लेषण करना, ग्रुप बनाना, काम की योजना बनाना और उसकी देखरेख करना, उससे समाज में होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना। वार्षिक ग्राम कार्ययोजना के जरिए गरीबों तथा महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास के विकल्पों को तय किया जाता है और साझा ग्रामीण मूल्यांकन

वर्षा-आधारित कृषि परियोजना के तहत पहल

(Participatory Rural Appraisal—PRA) द्वारा प्राथमिकताओं का पता लगाया जाता है और उन्हें अमल में लाया जाता है।

- **शोध तथा मूल्यांकन अध्ययन** : गत 10 वर्षों से ग्रामीण विकास ट्रस्ट लगातार कार्य शोध तथा मूल्याकंन अध्ययन करता रहा है। इस कारण भारत सरकार, विशेषकर ग्रामीण विकास मंत्रालय और वन व पर्यावरण मंत्रालय ने स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वजलधारा, और नेशनल वनीकरण कार्यक्रम-जैसे अपने कई कार्यक्रमों के मूल्यांकन करने का काम इस ट्रस्ट को सौंपा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की राज्य सरकारों ने भी ग्रामीण विकास ट्रस्ट को अपने वाटरशैड कार्यक्रमों और वनप्रबंधन समितियों का मूल्यांकन करने का काम सौंपा है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की बुनियादी योजना तैयार करने का काम भी जीवीटी को सौंपा है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम** : ग्रामीण विकास ट्रस्ट (जीवीटी) को बहुत सी सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रिसोर्स संस्था के तौर पर मान्यता मिली है। मध्य प्रदेश में एमपीआरएलपी, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में डीपीआईपी अपने विकास कर्मियों को जीवीटी द्वारा चलाए जा रहे नेशनल लाइवलीहुड रिसोर्स सेंटर में तकनीकी तथा सामाजिक कौशल की ट्रेनिंग के लिए भेजते रहे हैं। ग्रामीन विकास ट्रस्ट के पास ऐसे रिसोर्स व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने बहुत सी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लिया है और जो विकास कर्मियों को उम्दा प्रशिक्षण दे सकते हैं। ■

असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCEUS) की रिपोर्ट का सार-संक्षेप

(पूरी रिपोर्ट के लिए www.nceus.gov.in; www.migrationindia.org *पर जाएं)*

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन मौजूदा बदलते भूमंडलीय परिवेश में असंगठित क्षेत्र को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को सतत बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए किया गया है। इस आयोग की एक महत्त्वपूर्ण शर्त यह है कि वह अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का आकलन करे तथा उसके दायरे को बढ़ाने के लिए सिफारिश करे। आयोग को यह भी कहा गया है कि वह दूसरे श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए "असंगठित क्षेत्र श्रमिक विधेयक, 2004" पर पुनर्विचार करे और यदि आवश्यक हुआ तो उसमें तब्दीली लाए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयोग को कहा गया है कि वो राष्ट्रीय सलाकार परिषद् द्वारा विचार-विमर्श के लिए पेश एक अन्य विधेयक के प्रारूप पर भी गौर करे। आयोग की रिपोर्ट तथा प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप इसी का परिणाम है।

आयोग ने बाद में विभिन्न विकल्पों पर सोच-विचार करने के बाद असंगठित क्षेत्र की निम्न परिभाषा की है :

> *असंगठित क्षेत्र में वह सभी निजी उद्यम शामिल हैं जिनमें 10 से कम श्रमिक काम करते हों और जो या तो मालिकाना आधार पर या फिर साझेदारी में चलते हों।*

आयोग ने असंगठित अथवा अनौपचारिक रोजगार की निम्न परिभाषा दी:

> *असंगठित/अनौपचारिक रोजगार में अनियमित तथा सहयोगी पारिवारिक श्रमिक, असंगठित और निजी घरेलू क्षेत्र में स्व-नियोजित व्यक्ति, तथा संगठित क्षेत्र अथवा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों में काम करने वाले वे कर्मचारी शामिल हैं जिनको वेतन के साथ बीमारी की छुट्टी तथा वार्षिक अवकाश नहीं मिलता और न ही नियोजकों द्वारा दिए जानेवाले सामाजिक सुरक्षा का कोई अन्य लाभ।*

इस परिभाषा का प्रयोग करके आयोग ने 1 जनवरी 2000 को अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कुल अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या 34 करोड़ आंकी जबकि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र, दोनों को मिला कर अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या 36.2 करोड़ आंकी गई। यह देश के कुल रोजगार का क्रमशः 86 तथा 91 प्रतिशत है। अनौपचारिक रोजगार की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें श्रमिकों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती।

आयोग के अनुसार अनौपचारिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की समस्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पर्याप्त रोजगार न मिलने, कम कमाई होने से तथा स्वास्थ्य और शिक्षा का निम्न स्तर से यानी समाज के गरीब वर्गों की सामान्य वंचनाओं से जुड़ा है। दूसरी समस्या उस विपत्ति से पैदा होती है जो कि बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु तथा वृद्धावस्था-जैसी आकस्मिकताओं से जूझने के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र न मौजूद होने के कारण पैदा होती है।

आयोग का यह मानना है कि एक अर्थपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध न होना केवल एक श्रमिक या उसके परिवार की ही समस्या नहीं है। यह समाज तथा अर्थव्यवस्था के लिए गहरा उलझाव पैदा कर सकती है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह श्रमिक की अपनी कुशलता बढ़ाने की तथा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के सामार्थ्य को कमजोर करती है। कमाने की कम शक्ति तथा असुरक्षा गरीबी को जन्म देती है जिससे कि अर्थव्यवस्था में औसत मांग घट जाती है। सामाजिक रूप से यह स्थिति असंतोष और अलगाव को जन्म देती है, खासकर तब जबकि एक तबका काफी खुशहाल और साधनसंपन्न हो।

इस समय देश में सामाजिक सुरक्षा तीन स्तरों पर मौजूद है। पहले स्तर में मूलभूत सामाजिक/मानव विकास के सामान्य कार्यक्रम और योजनाएं सम्मिलित हैं, जैसे कि साक्षरता मिशन, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, पेयजल व सफाई तकनीकी प्रशिक्षण इत्यादि। इन्हें किसी भी मजबूत सामाजिक तथा आर्थिक विकास नीति की नींव समझा जाता है। सार्वजनिक कोष के बलबूते चलने वाले ये कार्यक्रम सभी नागरिकों के लिए मानव क्षमताओं के सृजन तथा विस्तार को प्रोत्साहित करते हैं।

दूसरे स्तर पर सामाजिक/मानव विकास की योजनाएं हैं जिनका काम गरीब नागरिकों के लिए एक हद तक सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है चाहे ऐसे गरीब लोग काम पर लगे हों या नहीं। इसके पीछे संवर्धनात्मक तथा संरक्षात्मक कार्यवाही के जरिए कुछ वर्गों की मूलभूत सामाजिक सुरक्षा आवश्कताओं को पूरा करने का विचार है। समय-समय पर देश में कई कार्यक्रम आते रहे हैं, जैसे कि समेकित बाल विकास योजना (ICDS), ग्रामीण क्षेत्र महिला व बाल विकास (DWCRA), स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील योजना,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबों के लिए आवास, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तथा अभी-अभी आरंभ किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम।

आयोग के अनुसार इसी तरह तीसरे स्तर में असंगठित/अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण शामिल होना चाहिए। इसका उद्देश्य अभाव और मुसीबत के वक्त उनकी मदद करना होना चाहिए। अभाव से पैदा होने वाली सामाजिक सुरक्षा की समस्याओं का संबंध ऋण/वित्त (विशेषकर स्व-रोजगार में लगे लोगों के लिए) की उपलब्धता, कौशल को बढ़ाने के लिए ऋण की उपलब्धता तथा मकान बनाने तथा बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण की उपलब्धता से है।

भारत में औपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय मौजूद हैं। अनौपचारिक श्रमिकों के लिए, जिनकी संख्या कुल श्रमशक्ति का 91 प्रतिशत से अधिक है, कोई सामाजिक सुरक्षा कवच नहीं है और यदि है भी तो अत्यंत सीमित मायने में, जिससे बीमारी, बुढ़ापे, बेरोजगारी या फिर समय से पहले मृत्यु की सूरत में उनकी असुरक्षा और अधिक बढ़ जाती है।

असंगठित श्रमिकों के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित होने वाले कई कार्यक्रम हैं, पर इनका लाभ सिर्फ 2.1 करोड़ श्रमिकों को ही मिल पाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के केवल 6 प्रतिशत श्रमिकों को ही एक हद तक सामाजिक सुरक्षा हासिल है। इसके अतिरिक्त यह अनुमान है कि छोटी तथा बड़ी गैर-सरकारी संस्थाएं मिलकर असंगठित क्षेत्र के 2 प्रतिशत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करा पाती हैं।

रिपोर्ट ने चीन, इंडोनेशिया, ट्यूनिशिया तथा ब्राजील-जैसे दूसरे विकासशील देशों के सामाजिक सुरक्षा के अनुभवों की भी जांच की है।

आयोग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की सिफारिश करने वाली तीन अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं की सिफारिशों को भी जांचा है। डॉ. सी.एच. हनुमंत राव की अध्यक्षता में 1991 में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने सामाजिक सुरक्षा की समस्या पर विचार करते हुए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, जीवन बीमा, प्रसूति लाभ, अपंगता लाभ (दुर्घटना मुआवजा), न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा तथा अस्वस्थता लाभ देने की सिफारिश की थी। इसी प्रकार दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सन् 2000 में सामाजिक सुरक्षा पर बात करते हुए उपरोक्त सुविधाओं के साथ-साथ एक उच्च शक्ति राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण के गठन तथा केंद्र तथा राज्य में एक सामाजिक सुरक्षा कोष शुरू करने की सिफारिश की थी। आयोग की इस सिफारिश के बाद सरकार ने असंगठित क्षेत्र श्रमिक विधेयक, 2004 बनाया जिसमें सामाजिक सुरक्षा तथा काम की शर्तों का विवरण दिया गया था। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने भी 2005 में असंगठित क्षेत्र के लिए एक विधेयक "असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक" का प्रारूप तैयार किया था। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने वृद्धावस्था पेंशन को छोड़कर अन्य किसी योजना के लिए श्रमिकों से कोई अंशदान न लेते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की वकालत की थी। उसके प्रस्तावों के अनुसार इसपर आने वाले खर्च की व्यवस्था लेवी और अधिभार की वसूली आदि के जरिए किया जाना था। उसने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण के नाम से एक निगम बनाने की सिफारिश भी की थी।

मौजूदा आयोग द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना निश्चित अंशदान पर आधारित किया है। यह अंशदान बीमा का प्रीमियम देने के लिए खर्च होगा ताकि (अ) अस्पताल में इलाज के खर्च, (ख) प्रसूति पर होने वाले खर्च व जीवन बीमा, और (ग) वृद्धावस्था पेंशन का प्रबंध हो सके। 1 रुपए प्रति श्रमिक प्रतिदिन के हिसाब से हर मजदूर से एक निश्चित अंशदान लिया जाएगा और नियोजक तथा सरकार भी इतना ही अंशदान करेंगे। इस हिसाब से प्रतिवर्ष हर मजदूर के लिए 1095 रुपए उपलब्ध होंगे।

इस राशि को तीन प्रीमियमों में बांटा जा सकता है – अस्पताल, प्रसूति व बीमारी भत्ता, जीवन-बीमा और वृद्धवास्था सुरक्षा। आयोग ने जो परामर्श दिया है उसके अनुसार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का यह दायित्व बन जाता है कि वह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की सहायता से संबंधित बीमा एजेंसियों से बात करें और यह फैसला करें कि इस राशि को कैसे ठीक ढंग से बांटा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। आयोग ने इस राशि में से 380 रुपए स्वास्थ्य बीमा तथा प्रसूति लाभ पर, 150 रुपए जीवन बीमा पर तथा 565 रुपए वृद्धावस्था पेंशन पर खर्च करने का सुझाव दिया है।

स्वास्थ्य तथा प्रसूति संबंधी एक बीमा पॉलिसी के तहत पांच व्यक्तियों के सामान्य परिवार के सभी सदस्यों को लाभ मिलना चाहिए। इस पॉलिसी के न्यूनतम निर्धारित हितलाभ इस प्रकार होंगे :

- बीमारी के इलाज पर 15,000 रुपए तक का खर्च;
- प्रति प्रसूति 1000 रुपए तक का खर्च;
- दुर्घटना में कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु की सूरत में 25,000 रुपए,
- पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के कारण अस्पताल में होने की स्थिति में 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की दिहाड़ी।

सामाजिक सुरक्षा पहचान पत्र, जो श्रमिक/उसके परिवार को दिए गए हैं उसे या तो बिना भुगतान अथवा खर्च वापसी के आधार पर निर्धारित सुविधाओं का उपभोग करने की अनुमति देंगे। आयोग का विचार है कि बिना शुल्क प्रणाली अनौपचारिक श्रमिकों के लिए ज्यादा अच्छी है।

जहां तक वृद्धावस्था की सुरक्षा का संबंध है आयोग ने निम्न दो विकल्पों की सिफारिश की है :

(क) 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके गरीबी रेखा के नीचे के तमाम लोगों को मासिक 200 रुपए का वृद्धावस्था पेंशन; और

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना में अंशदान करनेवाले शेष सभी श्रमिकों के लिए भविष्य निधि।

प्रति श्रमिक प्रतिवर्ष वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए या तो पेंशन की शक्ल में या भविष्य निधि के अंशदान की शक्ल में 565 रुपए उपलब्ध होंगे।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि भविष्य निधि को बेरोजगारी रिलीफ की शक्ल में ऐसे तैयार किया जाए कि बेरोजगारी के समय श्रमिक 50 प्रतिशत तक राशि का प्रयोग कर सके। हालांकि आयोग की सिफारिश के मुताबिक 10 वर्ष के पहले भविष्य निधि को निकाला नहीं जा सकता।

यह योजना सहभागी योजना है जिसमें श्रमिक, नियोजक तथा सरकार 1 रुपए प्रतिदिन की दर से यानि 365 रुपए प्रतिवर्ष देते हैं। परंतु वास्तव में यह श्रमिक तथा सरकार के बीच क्रमशः 1 रुपए व 2 रुपए रोजाना देने की योजना है। यह इसलिए कि केवल 17 प्रतिशत अनौपाचारिक श्रमिक के मामले में ही नियोजक (गैर-कृषि क्षेत्र में) की पहचान हो पाती है। इस प्रकार उनका अंशदान भी सरकार को ही देना होगा जिसे बाद में 'कर' या 'उपकर' लगाकर पूरा करना होगा। गरीबी रेखा के नीचे गुजर करने वाले श्रमिकों को यह अंशदान

नहीं देना पड़ेगा और उनका हिस्सा भी केंद्र सरकार ही देगी। शेष सरकारी अंशदान 3:1 के अनुपात में केंद्र तथा राज्य सरकारें देंगी। जैसा कि संकेत दिया गया है गरीबी रेखा से नीचे के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाएगी। पेंशन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस मामले में सरकार को प्रति श्रमिक प्रतिवर्ष भविष्य निधि के लिए दिया जानेवाला अंशदान नहीं करना होगा।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इस योजना को बनाएगा तथा केंद्रीय स्तर पर लागू करेगा, जबकि राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड यही काम राज्य के स्तर पर करेंगे। श्रमिक सुविधा केंद्र जो या तो गैर-सरकारी संस्थाएं, ट्रेड यूनियन या पंचायती राज संस्थान होंगे, इस स्कीम को देखेंगे। इसमें श्रमिकों का पंजीकरण भी शामिल होगा। श्रमिकों के पंजीकरण तथा पहचान पत्र देने का भार जिला स्तर की समिति पर होगा जो राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड तथा श्रमिक सुविधा केंद्र के बीच तालमेल का काम करेगी। इस बात की संभावना है कि तमाम योग्य श्रमिक 5 वर्ष की अवधि के अंदर पंजीकृत हो जाएंगे।

वर्ष 2006-07 में सरकार का अंशदान 6,674 करोड़ रुपए होगा। इसमें प्रशासनिक खर्च भी शामिल है। यह राशि वर्ष 2010-11 तक बढ़कर 20,582 करोड़ रुपए हो जाएगी। पहले वर्ष में सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार सकल घरेलू उत्पाद का 0.17 प्रतिशत होगा तथा पांचवें वर्ष के दौरान यह 0.39 प्रतिशत होगा। कुल कर के प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता 1.51 प्रतिशत होगी तथा पांचवें वर्ष में यह 2.74 प्रतिशत होगा। राज्यों तथा केंद्र दोनों के खर्च को यदि मिलाकर देखा जाए तो अतिरिक्त खर्च का भार सकल घरेलू उत्पाद का 2006-07 में 0.20 प्रतिशत तथा 2010-11 में 0.48 प्रतिशत बैठेगा।

सामाजिक सुरक्षा कानून के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करना विभिन्न संबद्ध पक्षों की जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार इसके अनुरूप एक कानून बनाएगी तथा स्कीम को "राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष" तथा "राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के माध्यम से चलाएगी। राज्य सरकारों की जिम्मेवारी असंगठित श्रमिकों के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाने की होगी। राज्य सरकारें जिला समितियां भी बनाएंगीं जो कि श्रमिकों के पंजीकरण का काम करेगी।

श्रमिकों के लिए श्रमिक सुविधा केंद्र का काम निश्चित ग्राम पंचायत या फिर गैर-सरकारी संस्था तथा ट्रेड यूनियन-जैसी कोई संस्था कर सकती है। उसकी पहचान का जिम्मा राज्य बोर्ड का होगा। उनकी पहचान करते वक्त उनकी साख तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रबंधन के उनके अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। जरूरतमंदों की पहचान, उनको सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का सही हिसाब-किताब रखना श्रमिक सुविधा केंद्र की जिम्मेवारी होगी। उनको सामाजिक सुरक्षा के लाभ को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेवार संस्थानों के साथ मिलकर लाभ के वितरण की भी देख-रेख करनी होगी।

भारत सरकार के विचार के लिए आयोग ने विधेयक का एक विस्तृत प्रारूप तैयार किया है ताकि राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना को कानूनी शक्ल दी जा सके। इस योजना को देश के असंगठित श्रमिकों के अधिकारों का हिस्सा बनाया जाए सके, इसके लिए उसे कानूनी शक्ल देना जरूरी है। ऐसा करने से असुरक्षित श्रमिकों को एक हद तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे के अंदर लाने की अति आवश्यक प्रक्रिया आरंभ होगी। ■

दिल्ली में नेपाली प्रवासी : वे यहां क्यों हैं? उनके अनुभव क्या हैं?

(सूसन थीमे की पुस्तक *"सोशल नेटवर्क्स एंड माइग्रेशन : फार वैस्ट नेपलीज लेबर माईग्रेंट्स इन दिल्ली"*, एलआईटी वरलाग, मुंस्टर, 2006, पृ. 95-99 का एक अंश)

यद्यपि सभी प्रवासी श्रमिकों की अपनी-अपनी कहानी है फिर भी सभी के अनुभव एक जैसे हैं। प्रवास का निर्णय व्यक्ति अकेले नहीं लेता। बल्कि यह निर्णय परिवार रूपी इकाई लेती है और यह बात प्रवास के अर्थतंत्र के नए सिद्धांत तथा जीवनक्षम आजीविका के सिद्धांत (ससटेनेबल लाईवलीहुड्स ऐप्रोच) में भी दिखाई देती है। यह सत्य भी इन्हीं दृष्टिकोणों से मेल खाता है कि केवल अपनी आय को अधिकतम सीमा तक ले जाने के लिए ही प्रवास नहीं किया जाता। लोग जोखिम को कम करने के लिए तथा दबाव से निजात पाने के लिए भी प्रवास करते हैं। वे केवल बेरोजगारी के कारण ही घरों से बाहर नहीं निकलते बल्कि दूसरे कारणों से भी घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि कृषि का मौसमी होना, काम में लगाने के लिए धन का अभाव या फिर खर्च बढ़ जाने से या कर्ज के कारण। नेपाल में सामाजिक भेदभाव, राजनैतिक अस्थिरता, इलाज की आवश्यकता तथा कभी-कभी बच्चों की शिक्षा के मौकों का अभाव दिल्ली आने के कुछ अन्य कारण हैं। इन सभी कारणों की चर्चा विस्तार से नीचे की गई है।

हालांकि प्रवास करने का निर्णय परिवार के संदर्भ में लिया जाता है परंतु पूरा परिवार इसको लागू नहीं करता। साधारणतया पुरुष दिल्ली प्रवास करते हैं परंतु महिलाएं बहुत ही कम साथ आती हैं। जिन महिलाओं का साक्षात्कार किया गया उनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि उसके दिल्ली आने के पीछे काम की खोज थी। अधिकतर महिलाएं पीछे नेपाल में ही अपने घरों में रह जाती हैं।

नेपाल के प्रवासियों को दिल्ली इसलिए आना पड़ा कि वे अपने घरों में रोटी-रोजी न कमा सकते थे। दूर पश्चिमी नेपाल से आए प्रवासियों ने यह बताया कि उन्होंने इसलिए प्रवास किया कि अपने देश में उनके पास पर्याप्त भूमि नहीं थी या कृषि उत्पादन से साल भर परिवार का भरण-पोषण नहीं किया जा सकता था। अपनी भूमि को बच्चों में बराबर-बराबर बांटने की परंपरा का परिणाम यह निकला कि आगे की पीढ़ियों में उनके बच्चों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े रह गए जो कि परिवार के गुजारे लायक कृषि तथा मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त लोगों के पास उपभोक्ता सामग्री खरीदने और यहां तक कि दाह-संस्कार के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं होता। धन न होने का एक और कारण यह है कि बहुत से स्थानीय लोग भूमि खरीदने की इच्छा रखते हैं और यही इच्छा उनको कर्ज के जाल में फंसा देती है। इन लोगों को यह लगता है कि यह कर्ज का पैसा भारत जाकर होने वाली आमदनी से ही वापस किया जा सकता है।

पुरुषों में जुए तथा शराब की लत ने परिवारों का ऋण और बढ़ दिया है। यह बात कुछ मामलों में सामने आई है। माझीगांव वीडीसी की एक महिला ने यह बताया कि उसके पति ने शराब और जुऐ की लत में इतना गंवाया कि वे घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उसने शिकायत की कि :

> *मैं अपने पति से इस मामले में अब बहस नहीं करती, वह मेरे कहने की परवाह ही नहीं करते। हमारा पूरा परिवार वहां रहता था। परंतु हम पर इतना कर्ज हुआ कि हमें इसे चुकाने के लिए अपना सब कुछ बेच देना पड़ा। हमारा एक बच्चा गांव में 5वीं श्रेणी में पढ़ता था परंतु हम इतने भारी ऋण में फंस गए थे कि उसे अदा करने के लिए हमें घर छोड़ कर दिल्ली आना पड़ा।*

प्रवास का दूसरा कारण है सामाजिक भेदभाव का भय, विशेषकर अनुसूचित जातियों में। उनलोगों को बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और कई बार उन्हें काम की कीमत भी नहीं मिलती। उदाहरणार्थ श्री वी. दामी तथा उनका चचेरा भाई श्री के. दामी दोनों 1988 में अपनी-अपनी पत्नियों को साथ लेकर छत्रा (माझीगांव वीडीसी) से दिल्ली आए। उनके बच्चे दिल्ली में पैदा हुए तथा वहीं पर पले-बढ़े। नेपाल में उन्हें अक्सर अपनी जाति के कारण सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। श्री के. दामी ने इस असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई। इसका परिणाम यह हुआ कि गांववालों ने उनके परिवार को और दबाया। फलस्वरूप उन्हें मजबूर होकर दिल्ली आना पड़ा। श्री के. दामी ने यह भी कहा कि दिल्ली में 12 वर्ष व्यतीत करने के बाद वह तथा उनका चचेरा भाई वर्ष 2000 में अपने परिवार को लेकर वापस अपने गांव नेपाल गए, परंतु पाया कि वहां की स्थिति जैसी की तैसी ही है। इसलिए उनको फिर दिल्ली वापस आना पड़ा। उसने अंत में कहा : "हम अपने बच्चों को ऐसे माहौल में वापस कैसे भेज सकते हैं"।

क्षेत्री जाति के कुछ नौजवान जो भागकर दिल्ली आ गए हैं हमेशा यह महसूस करते थे कि गांव के पारंपारिक माहौल में वे अपना व्यक्तिगत जीवन जीने में असमर्थ थे। उन पर नेपाल में जुआ तथा शराब का नशा करने के लिए दबाव था। बुजुर्ग लोग लड़कियों को स्कूल न भेजने पर मजबूर करते थे। यदि कोई उनके फैसले के विरुद्ध जाता था तो उसे समाज से बहिष्कृत कर देते थे। दिल्ली आने की एक और वजह थी स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता। यह सुविधा उनके अपने जिले में नहीं थी, विशेषकर महिलाओं के मामले में। ऐसी महिलाएं अपने पुरुषों के साथ या उनके पीछे दिल्ली चली आती हैं, विशेषकर प्रसूति से पहले तथा नवजात की देखभाल के दौरान। ये महिलाएं दो महीने से लेकर दो वर्ष तक वहां रहती हैं।

नेपाल में हाल के राजनैतिक झगड़े ने नेपाल तथा भारत के बीच प्रवास को एक नया आयाम दिया है। नेपाल से लोग अब भारत की ओर ज्यादा आने लगे हैं क्योंकि सरकार तथा माओवादियों के बीच के झगड़े से उनके जीवन को खतरा हो सकता है। उनके लिए एक और समस्या सामने आई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों तथा स्थानीय अधिकारियों ने जिला मुख्यालयों व गांवों में अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं।

प्रवासियों के लिए दिल्ली में जीवन एक और आयाम लेता है। उनके बच्चे भी उनके साथ दिल्ली आते हैं और वहां पर स्कूल भी जाते हैं। यह सब सुविधाएं उनके अपने जिले में नहीं हैं। नेपाल से बच्चे उसी सूरत में भारत आते हैं यदि उनकी माताएं भी साथ हों। कुछ परिवारों से बातचीत करने से पता चला कि ऐसा कम ही होता है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें पाया गया है कि शिक्षा प्रवास का मुख्य कारण कभी नहीं बना, बल्कि वह प्रवास का नतीजा है। जो बच्चे दिल्ली में ही जन्मे तथा वहीं पर पले-बढ़े, वे कई बार वापस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली का सामाजिक वातावरण उनके अपने गांव के सामाजिक वातावरण से बिल्कुल भिन्न है। इन परिवारों के केवल पुरुष ही कभी-कभी घर हो आते हैं। उदाहरणार्थ सिंगारा की रहने वाली महिला श्रीमती पी. रावल 11 साल पहले दिल्ली आईं तब से वह अपने गांव वापस नहीं गई। उनकी सास ने भी टिहरी क्षेत्र के महेन्द्रनगर में अपने बच्चों के पैदा होने से पहले परिवार खर्च की बचत से जमीन खरीदी थी। श्रीमती पी. रावल भविष्य में बच्चों की सर्दियों की छुट्टी के समय पश्चिमी नेपाल में अपने घर जाने की उम्मीद रखती हैं। उन्हें अपने गांव के सुंदर नजारों की याद है परंतु वह यह जानती हैं कि सदा के लिए वापस नेपाल जाना संभव नहीं है, विशेषकर बच्चों को देखते हुए। वहां पर अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा और वे इतना नहीं कमा पाएंगी जितना दिल्ली में कमाती हैं। दिल्ली के अधिकतर सरकारी स्कूल या तो कोई शुल्क नहीं लेते या बहुत ही कम लेते हैं। परंतु सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर कम होने के कारण ऊंची कक्षाओं में छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी पड़ती है। इस पर उन्हें प्रति माह 150 से 600 रुपए (भारतीय) खर्च करने पड़ते हैं जो बहुत से प्रवासियों की क्षमता के बाहर है। ■

माइग्रेशन इंडिया हब

सलाहकार मंडल

प्रिया देशिंकर
ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट

सुधीर कटियार
प्रवासी श्रमिक सुरक्षा मंच

दर्शिनी महादेविया
सेंटर फॉर ऐन्वायरमेंट प्लैनिंग एण्ड टेकनोलॉजी

टी.एस. पपोला
इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट

अमर प्रसाद
ग्रामीण विकास ट्रस्ट

डी. नरसिंहा रेड्डी
हैदराबाद विश्वविद्यालय

अलख एन. शर्मा
इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट

स्मिता
अमेरिका इंडिया फाऊंडेशन

रवि श्रीवास्तव
असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग

इंडिया माइग्रेशन न्यूजलेटर

संपादक

असीम प्रकाश
इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट

उमा शर्मिष्ठा
इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट

संपादक मंडल

शरित भौमिक
मुम्बई विद्यापीठ

हरिश्वर दयाल
रांची विश्वविद्यालय

इंदिरा हीरवाई
सेंटर फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव

जे. जयरंजन
इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स

अशोक खंडेलवाल
प्रवासी श्रमिक सुरक्षा मंच

सुजाता पटेल
पुणे विश्वविद्यालय

सुप्रिया रायचौधरी
इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज

सुरजीत सिंह
इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज

वी. श्रीधर
दी फ्रंटलाइन

हिंदी अनुवाद

अमिताभ वर्मा

असीम प्रकाश द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, आईआईपीए कैम्पस, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110 002 के लिए प्रकाशित तथा मुद्रित

डिजाइन : प्रवीण मिश्रा
प्रकाशन संयोजन : दानिश बुक्स